**अनुलग्नक-I**

**(पैरा 2.1.1में संदर्भित)**

**2007-08 से 2017-18 तक संस्वीकृत अनुदान, निर्गत तथा प्रत्येक नाइपर द्वारा व्यय दर्शाती विवरणी**

**(राशि ₹ लाख में)**

| नाइपर का नाम | वर्ष | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अहमदाबाद | संस्वीकृत | 200 | 250 | 300 | 278 | 300 | 500 | 679 | 450 | 1776 | 1813 | 2296 |
| | निर्गत | 200 | 250 | 300 | 278 | 300 | 500 | 679 | 450 | 1776 | 1813 | 2296 |
| | व्यय | 100 | 295 | 322 | 288 | 312 | 434 | 456 | 519 | 1884 | 1938 | 2169 |
| गुवाहटी | संस्वीकृत | 0 | 100 | 1065 | 100 | 0 | 522 | 288 | 391 | 2100 | 2627 | 5200 |
| | निर्गत | 0 | 100 | 1065 | 100 | 0 | 522 | 288 | 391 | 2100 | 2627 | 5200 |
| | व्यय | 0 | 77 | 158 | 179 | 277 | 1061 | 373 | 418 | 2067 | 2668 | 4582 |
| हाजीपुर | संस्वीकृत | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 370 | 400 | 600 | 600 | 600 |
| | निर्गत | 220 | 275 | 715 | 100 | 0 | 45 | 350 | 400 | 600 | 500 | 500 |
| | व्यय | 140 | 312 | 221 | 240 | 256 | 260 | 403 | 416 | 503 | 511 | 515 |
| हैदराबाद | संस्वीकृत | 350 | 2218 | 508 | 585 | 810 | 2030 | 2300 | 1417 | 3500 | 3500 | 3000 |
| | निर्गत | 350 | 2218 | 508 | 585 | 810 | 2030 | 2300 | 1417 | 3500 | 3500 | 3000 |
| | व्यय | 130 | 2215 | 473 | 584 | 735 | 2082 | 2245 | 1539 | 3511 | 3564 | 2730 |
| कोलकाता | संस्वीकृत | 200 | 148 | 300 | 160 | 350 | 450 | 500 | 450 | 630 | 800 | 1150 |
| | निर्गत | 150 | 150 | 348 | 160 | 309 | 175 | 441 | 438 | 630 | 800 | 1150 |
| | व्यय | 107 | 205 | 308 | 282 | 246 | 278 | 315 | 354 | 525 | 614 | 1125 |
| मोहाली | संस्वीकृत | एनए | 1739 | 2123 | 2064 | 2477 | 2282 | 1920 | 2087 | 2748 | 2748 | 2831 |
| | निर्गत | एनए | 1739 | 2123 | 2064 | 2477 | 2282 | 1920 | 2087 | 2748 | 2748 | 2831 |
| | व्यय | एनए | 1979 | 2668 | 2447 | 2883 | 3010 | 3353 | 3113 | 4089 | 3952 | 3913 |
| रायबरेली | संस्वीकृत | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 450 | 450 | 445 | 700 | 700 | 850 |
| | निर्गत | 0 | 250 | 280 | 428 | 300 | 350 | 450 | 445 | 550 | 625 | 950 |
| | व्यय | 0 | 194 | 399 | 348 | 360 | 375 | 320 | 395 | 590 | 525 | 897 |
| **कुल योग** | **संस्वीकृत** | **750** | **4455** | **4296** | **3179** | **4587** | **6279** | **6507** | **5640** | **12054** | **12788** | **15927** |
| | **निर्गत** | **920** | **4982** | **5339** | **3707** | **4196** | **5904** | **6428** | **5628** | **11904** | **12613** | **15927** |
| | **व्यय** | **477** | **5277** | **4549** | **4368** | **5069** | **7500** | **7465** | **6754** | **13169** | **13772** | **15931** |

**अनुलग्नक-II**

**(पैरा 4.1.6.1 (ग) में संदर्भित)**

**परियोजनाओं के संदर्भ में दी गई वित्तीय सहायता जिसके लिए एसआरपी का गठन नहीं किया गया।**

**(रु करोड़ में)**

| क्रम सं. | राज्य | वित्तीय वर्ष | परियोजनाओं की संख्या | परियोजनाओं की अनुमानित लागत | संस्वीकृत ऋण | वित्तीय वर्ष में वित्तरित राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | हरियाणा (एसआरपी अभी तक लंबित) | 2012-13 | 10 | 869.53 | 623.36 | 335.73 |
| 2. | | 2013-14 | - | - | - | 353.44 |
| 3. | | 2014-15 | - | - | - | 186.97 |
| 4. | | 2015-16 | 10 | 1607.49 | 1238.97 | 165.14 |
| 5. | | 2016-17 | - | - | - | 521.65 |
| | **योग (i)** | | | | | **1562.93** |
| 6. | राजस्थान (एसआरपी) 10 नवम्बर 2015 को प्रकाशित | 2012-13 | | | | 61.75 |
| 7. | | 2013-14 | 5 | 278.27 | 208.7 | 2.00 |
| 8. | | 2014-15 | | | | 1.69 |
| 9. | | 2015-16 | | | | 0 |
| 10. | | 2016-17 | | | | 0 |
| | **योग (ii)** | | | | | **65.44** |
| 11. | जीएनसीटीडी (जिसमें एसआरपी तैयार नहीं किया गया है) | 2012-13 | | | | 0 |
| 12. | | 2013-14 | 1 | 101.65 | 76.24 | 0 |
| 13. | | 2014-15 | | | | 20.00 |
| 14. | | 2015-16 | | | | 0 |
| 15. | | 2016-17 | | | | 0 |
| | **योग (iii)** | | | | | **20.00** |
| | **कुल योग (i+ii+iii)** | | | | | **1648.37** |

**अनुलग्नक-III**

**{अनुच्छेद 4.1.6.1 (ज) में संदर्भित}**

**लेखापरीक्षा परिणाम का ब्यौरा**

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | कर्ज सहयोग/अनमोदित दिनांक | जारी कर्ज/दिनांक | कर्ज की प्रतिबंध व शर्ते | लेखापरीक्षा अवलोकन | मंत्रालय/बोर्ड का जवाब (जनवरी 2018/ नवबंर 2017) | लेखापरीक्षा की अतिरिक्त टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **कर्ज स्वीकृति पत्र के प्रतिबंद्ध व शर्तो को पूर्ण किये विना कर्ज को जारी करना** | | | | | | | |
| 1. | जिला मेवात, हरियाणा में शैक्षणिक अस्पताल संग चिकित्सा कालेज के निर्माण की परियोजना | ₹239.18 करोड़/09 जून 2009 | ₹113.33 करोड़/18 नवबंर 2010 | योजनाओं के निर्माण, भूमि उपयोग परिवर्तन बजट स्वीकृति पत्र, पर्यावरण अनुमति इत्यादि के अधीन कर्ज स्वीकृत किया गया। | लेखापरीक्षा ने बोर्ड अधिकारियों द्वारा की गई साइट यात्रा (नवंबर 2010) के समय पर लेखापरीक्षा ने यह अवलोकन किया गया कि पर्यावरण अनुमति व भूमि उपयोग के परिवर्तन आदि अवलंबित थे। फिर भी बोर्ड अधिकारियों ने (18 नवबंर 2010) को राज्य सरकार को 113.33 करोड़ रूपये के कर्ज जारी किए। परियोजना 21 मई 2015 को पूरी हुई और अब प्रचालित है। | बोर्ड/मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि बोर्ड द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि अंतिम कर्ज की किश्त को जारी करने से पहले कर्ज सहयोग के सभी प्रतिबंध व शर्तों का मिलान किया जाएगा। फिर भी परियोजना की जरूरत के अनुसार परियोजना की निर्विघ्न कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एंजेसी को सुचारू सहयोग दिया जाएगा। | बोर्ड व मंत्रालय का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि बोर्ड ने कर्ज की किश्त के आवंटन से पहले, स्वीकृति पत्र के प्रतिबंध व शर्तो का मिलान सुनिश्चित नहीं किया। |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | उत्तर प्रदेश में हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण (एचपीडीए) द्वारा हापुड़ में आनंद विहार आवासीय गृह योजना | ₹133.80 करोड़ | ₹50करोड़ (अगस्त 2008 व मार्च 2009 के दौरान ₹37.50 करोड़ व ₹12.50 करोड़ की क्रमशः दो किश्ते जारी की गई) | पीएसएमजी ने कहा कि आवासीय योजना के लिए पानी आपूर्ति, जल निकास इत्यादि का मूलभूत ढाँचा सुनिश्चित समापन व लक्ष्य के समकालिक व समापन के साथ होना चाहिए। | लेखापरीक्षा ने देखा कि एचपीडीए ने एसटीपी का निर्माण नहीं किया और एचपीडीए ने सुझाव दिया कि आनंद विहार आवासीय योजना के स्त्राव को परियोजना के पश्चिमी छोर की तरफ बहने वाले बड़े नाले से जोड़ दिया जाएगा। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के खिलाफ था, जिसमें कहा गया था कि किसी भी घरेलू और औद्योगिक कचरे के शोधन से पहले भूमि या जल निकायों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अतः ऋण की संवितरण और उपयोग के समय बोर्ड द्वारा पीएसएमजी के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। | बोर्ड ने कहा कि बोर्ड (30 दिसंबर 2015) ने एचडीपीए से निवेदन किया है कि परियोजना क्षेत्र में जल निकास की उपचार के संबंध में तुरंत कार्रवाई करें और एसटीपी के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता पर शुरू करें। | बोर्ड का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि डीपीआर के अनुसार उसमें एसटीपी के निर्माण के लिए एक प्रावधान था और पीएसएमजी ने अपने 40वें मीटिग में एसटीपी के निर्माण पर भी जोर दिया, फिर भी परियोजना के समापन के तीन साल बाद भी एसटीपी का निर्माण नहीं हो पाया। परन्तु बोर्ड द्वारा इस मुद्दे को आईए के साथ दिसम्बर 2015 से नहीं उठाया गया। |

| आईए को भूमि की अनुपलब्धता के बावजूद भी कर्ज का अनुदान | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | राजस्थान में अलवर जल आपूर्ति सुधार परियोजना | ₹131.14 करोड़/19 नवबंर 2013 | ₹51 करोड़/30 सितंबर 2016 | -- | बोर्ड ने (30 सितबंर 2016) को बोर्ड के अधिकारियों के भौतिक व वित्तीय सत्यापन के स्वरूप (23 सितंबर 2016) ₹43.72 करोड़ की लोन की द्वितिय किश्त जारी कर दी। लेखापरीक्षा ने देखा कि (30 मार्च 2017) कि पीएचईडी अलवर नगर के अधीन छः स्थानों पर निर्माण कार्य आरंभ करने में सक्षम नहीं था जहाँ कि भूमि अभी भी यूआईटी द्वारा पीएचडीई, राजस्थान को स्थानांतरित नहीं हुई। वास्तव में, ऋण जारी करने से पहले, बोर्ड ने आईए के अधिकार क्षेत्र में अपेक्षित भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं किया। परियोजना के भौतिक सत्यापन के दौरान भी, बोर्ड | बोर्ड ने अपने जवाब में कहा कि इस परियोजना में एक सरकारी संस्था से दूसरी में भूमि का हस्तांतरण शामिल था। आईए ने पुष्टि की कि जल्दी ही बचे हुए दो स्थलों को भी निपटाए जाने की आशा है। | बोर्ड और मंत्रालय का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि अनुमोदन के पाँच वर्ष के बीत जाने के बावजूद भी, अपेक्षित भूमि आई ए के अधिपत्य में नहीं है। परियोजना अभी भी उन्नति पर है (जून 2019) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | यह आकलन और सुनिश्चित करने में असमर्थ था कि भूमि आईए के कब्जे में है। | | |
| 4. | हरियाणा में नलहार चिकित्सा कॉलेज तथा नुह टाऊन के लिए जल आपर्ति योजना | ₹79.21क रोड़/04 अगस्त 2011 | ₹90.13 करोड़/ 30 सितम्बर 2016 तक | भूमि हरियाणा सरकार के कब्जे में होनी चाहिए और वैधानिक मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए | लेखापरीक्षा ने यह देखा की बोर्ड ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि क्या ₹90.13 करोड़ का ऋण किस्त जारी करने से पहले भूमि कार्यान्वयन एजेंसी के कब्जे में थी। असल में 02 फरवरी 2017 तक, 20 एकड़ की अपेक्षित भूमि में से केवल 14.50 एकड़ का अधिग्रहण किया गया था। हालांकि अपेक्षित अनुमोदन लंबित थे, बोर्ड ने (30 सितबंर 2016) बोर्ड के अधिकारियों द्वारा आयोजित भौतिक और वित्तीय सत्यापन की सिफारिश (23 सितंबर 2016) पर ₹22 करोड़ की तीसरी किस्त जारी की | बोर्ड ने अपने पहले उत्तर में कहा था (अक्टूबर 2017) कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में देरी उप परियोजना के भूमि अधिग्रहण के लिए नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम (एलएए) 2013 के आवेदन पर अस्पष्टता के कारण हुई। | बोर्ड का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2011 में ऋण अगस्त 2014 में पूरा किया जाने के लिए, इस शर्त के साथ दिया गया था कि भूमि कब्जे में थी, इसके बाद किस्तों को भूमि के कब्जे को सुनिश्चित किए बिना जारी किया गया। परियोजना अभी भी प्रगति पर है (जून 2019) |

| वित्तीय हितों की रक्षा के लिए समझौते/प्रासंगिक खंडों का अभाव | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | हरियाणा राज्य में रेवाड़ी कोट कासिम रोड़ एनएच-8 तक, शांहजहांपुर, रेवाड़ी नरनाल रोड 6 किमी. तक (एसएच 26) रेवाड़ी मोहिंदर नगर रोड़, रेवाड़ी दादरी रोड़ प्रस्तावित बाई पास तक चार लेन बनाने के माध्यम से सुधार | ₹79.55 करोड़/नवबंर 2008 | ₹67.55 करोड़/3 जुलाई 2009 | परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि नवबंर 2010 थी। | बोर्ड द्वारा वितरित ऋण परियोजना की प्रगति से जुड़ा नहीं था तथा परियोजना में देरी के लिए कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं था। परियोजना के पूरा होने में पाँच साल की देरी थी। परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि नवंबर 2010 थी तथा परियोजना के पूरा होने की वास्तविक तिथि 10 फरवरी 2016 थी। परियोजना को पूरा करने में भारी देरी के बावजूद बोर्ड ने (31 मार्च | मंत्रालय/बोर्ड ने यह जवाब दिया कि मंजूरी पत्र में जुर्माना लगाने का कोई प्रावधान नहीं था क्योकिं परियोजनाएं जोकि बोर्ड द्वारा वित्तपोषित है वह जनकल्याण उन्मुख है। परियोजना के दौरान होने वाली देरी कुछ व्यावहरिक मुद्दों के कारण होती है जो कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न हो सकती है। | मंत्रालय तथा बोर्ड का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड ने अपने पहले जवाब में पुष्टि की कि कार्यान्वयन एजेंसी के अनुबंध के नियमों और शर्तो का उल्लंघन करके कार्य का निष्पादन रोक दिया, जिसके कारण काम में देरी हुई। परियोजना को पूरा करने में भारी देरी के बावजूद बोर्ड ने (31 मार्च 2016) को ₹4.22 करोड़ की अंतिम किस्त जारी की। |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2016) में ₹4.22 करोड़ की अंतिम किस्त जारी की। | | |
| 6. | सराय काले खाँ तथा आनंद विहार पर मल्टी मोडल ट्रांजिट सेंटर (एमएमटीसी) परियोजनाँए | -- | ₹69.96 लाख प्रतिबद्धता शुल्क के रूप में/31 जनवरी 2013 | परिवहन विभाग, दिल्ली के अनुरोध पर सराय काले खाँ तथा आनंद विहार पर मल्टी मोडल ट्राँजिट सेंटर परियोजनाएं। इन परियोजनाओं को विभिन्न संबंधित प्राधिकारियों द्वारा भूमि उपयोग में परिवर्तन | एडीबी की शर्तों के अनुसार, प्रतिबद्धता शुल्क असंवितरित ऋण राशि पर लगाया जाता है। लेखापरीक्षा ने पाया की प्रतिबद्धता शुल्क के भुगतान के बारे में बोर्ड ने जीएनसीटीडी के साथ कोई समझौता नहीं किया था, जिसके फलस्वरूप, जीएनसीटीडी के परिवहन विभाग की गैर स्टार्टर परियोजनाओं के कारण जीएनसीटीडी की ओर से, बोर्ड ने | मंत्रालय/बोर्ड ने अपने जवाब में यह कहा कि मामला विचाराधीन है और नियमित अनुवर्ती कार्यवाही चल रही है ताकि जीएनसीटीडी से उक्त प्रतिबद्ध्ता शुल्क की वसूली सुनिश्चित हो सके। | मंत्रालय तथा बोर्ड का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पाँच साल से अधिक का समय बीतने के बावजूद, बोर्ड जीएनसीटीडी से बकाया राशि वसूलने में असमर्थ था। बोर्ड का जवाब निर्माण योजना की भूमि के उपयोग के परिवर्तन और मंजूरी सुनिश्चित किए बिना ऋण के अनुमोदन पर मौन था। |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | और भवन योजनाओं की मंजूरी के बिना बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। | (31 जनवरी 2013) ₹69.96 लाख का प्रतिबद्धता शुल्क भुगतान किया। | | |
| **आरपी 2021 के किसी भी तत्व के तहत परियोजना का वित्तपोषण शामिल नहीं होना** | | | | | | | |
| 7. | कड़कड़डूमा औद्यौगिक क्षेत्र, शाहदरा दक्षिण, एनसीटीडी में बहुमंजलीय कार्यालय इमारत का निर्माण | ₹76.24 करोड़/30 दिसंबर 2013 | ₹20 करोड़/02 सितंबर 2014 | परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि सितंबर 2016 थी। | लेखापरीक्षा ने पाया की अप्रैल 2017 तक उक्त कार्य को ना तो आबंटित किया गया ना ही शुरू किया गया। कार्य को अक्टूबर 2017 में आबंटित किया गया। एक नागरिक एजेंसी के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए धन आरपी 2021 | मंत्रालय/बोर्ड ने अपने जवाब में कहा कि परियोजना पर निम्नलिखित आधार पर वित्तीय सहायता के लिए विचार किया गया हैः-<br>1. शहर के केन्द्रीय व्यापार जिले में प्रस्तावित पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के | मंत्रालय तथा बोर्ड का जवाब स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि कार्यालय निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना आर.पी. 2021 के किसी भी तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। परियोजना अभी भी जारी है। (जून 2019) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | के विभिन्न तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। | कार्यालय परिसर के निर्माण की साइट एमपीडी-2021 के शहरी क्षेत्र के भीतर आती है।<br>2. एनसीआरपीवी अधिनियम 7(ई) तथा 8 (ई) के अनुसार बोर्ड एनसीआर और सीएमए में बुनियादी ढाँचा विकास परियोजनाओं के लिए घटक राज्यों और उनकी कार्यान्वयन एंजेसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। | |

**अनुलग्नक -IV**

**(पैरा 4.2.3 में संदर्भित)**

**अतिरिक्त मदों की विवरणी जो कि मुख्य समझौते में शामिल नहीं की गई**

| क्रम संख्या | प्रस्तुत अतिरिक्त मदों का ब्योरा | प्रस्तुत मात्रा | दर्शाई गई दर | अदा की गई मात्रा (₹ लाख में ) | सीपीडब्लूडी द्वारा दिए गए तर्क | लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | प्लस्तर वाली दिवार की सतह पर सफेद सीमेंट मिली पुट्टी जिसकी औसत मोटाई 1 मि.मी हो, मुहैया व प्रयोग कराना ताकि सतह समतल व एक समान पूरी हो। | 74,872.99 वर्ग मीटर | 86.20 प्रति वर्ग मीटर | 64.54 | सभी मकानों की आंतरिक दीवारों व छतों की तह में सीमेंट मिली पुट्टी लगाना, आवश्यक है और यह ग्राहक विभाग की तरफ से भी जरूरी बताया गया है। | मुख्य रूप से 184 आवासीय मकानों के निर्माण का यह कार्य था और सफेद सीमेंट की पुट्टी ऐसे कार्य में मूलभूत आवश्यकता थी। सीपीडब्लूडी ने विस्तृत आकलन व एनआईटी स्वीकृत करने के समय में इस बात को महत्व नहीं दिया और इस कार्य को एक अतिरिक्त मद के बतौर पूर्ण किया। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | सभी फर्श सतहों पर विभिन्न व्यासों के पाइपों को लगाने की आवश्यकता व प्रभारी के निर्देशानुसार मूठ कटिंग मशीन व औजारों का प्रयोग करते हुए आरसीसी दीवारों,फर्श व छतों की पट्टिया पर कोर कटिंग देना।<br>(अ) स्थल की आवश्यकतानुसार व्यास व गहराई का 100 से 150 मिमी. | 1065 मी. | 1017.09 प्रति मीटर | 10.83 | इस मद को तकनीकी रुप से दीवारो में छेद/आरसीसी स्लैब आदि के आवश्यक माना जाता है। | इस तरह के मद को शामिल न करना यह दर्शाता है कि परियोजना की आवश्यकता के पूर्ण संज्ञान के साथ विस्तृत आंकलन तैयार नहीं किया गया था। |
| 3. | खिड़कियों मे आवश्यक पैटर्न के फ्रेम के अनुरुप एमएस ग्रिल गढ़ना और लगाना, साथ ही स्वीकृत स्टील प्राइमर के साथ एमएस फ्लैट्स स्क्वायर या राउंड बार सहित। | 44,424.91 किलो ग्राम | 115.25 प्रति किलो ग्राम | 51.20 | सभी बकाया मदों के आकलन में जो कार्य समापन के लिए स्थल पर कार्यान्वयन के लिए जरूरी थे, इस मद को भी लिया गया लेकिन हर फर्श पर ढाँचे की आवश्यकता होने के कारण दूसरी एजेसियों से | विस्तृत आकलन/ एनआईटी की स्वीकृति के समय सभी जरूरी मदों पर विचार नहीं किया गया और सीपीडब्लूडी द्वारा इस मद को ध्यान नहीं दिया गया। यदि इस मद को विस्तृत आकलन/ एनआईटी में शामिल किया गया होता तो बाजार भाव |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | इस मद को कार्यान्वित करना यह बहुत ही मुश्किल है | अदायगी से बचा जा सकता था। |
| 4. | सामने की दीवार पर बिना प्लास्टिक कठोर पीवीसी रेनवाटर पाइप जो आईएस 13592 टाइप (ए) के समरूप है का देना व लगाना और जिसमें 10 मि.मी. के ऊष्मा प्रसार के लिए जगह छोड़कर सील रिंग जो आईएसः 5382 के समरूप है, जोड़ना शामिल है (ए) सिंगल सॉकेट पाइप 75 मि.मी. ब्यास | 787.28 मीटर | 141.25 प्रति मीटर | 1.11 | एडीजी सीपीडब्लूडी के स्थल निरीक्षण के दौरान ये बात रखी गई कि पानी निकासी के लिए बालकनी में 75 मि.मी. ब्यास के पीवीसी पाइप लगाए जाए। इस प्रकार समझौते में इसका कोई प्रावधान नहीं है। अतः यह अतिरिक्त मद के रूप में किया गया। | लेखापरीक्षा का यह मत है कि बालकनी से पानी निकास करवाना, निर्माण का एक मूलभूत व आवश्यक मद है, जो सीपीडब्लूडी ने विस्तृत आंकलन बनवाते समय नहीं देखा। |
| 5. | प्रभारी के निर्देशानुसार कील आदि के साथ शीशे के पल्ले 4 मि.मी. मोटे फ्लोर ग्लास का मुहैया कराना व लगाना। | 364.51 वर्ग मी. | 655.91 प्रति वर्ग मीटर | 2.39 | सभी ब्लाकों मे कूलर व एसी के प्रावधान के लिए खिड़कियों के खोलने में मद की जरूरत है। मद को समझौते में नहीं लिया गया अतः अतिरिक्त माना जाए। | यह प्रावधान खिड़की का अभिन्न हिस्सा था और सीपीडब्लूडी ने चूक कर दी, परिणामस्वरूप अतिरिक्त मद में लिया गया। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | बाहरी दिवारों के प्लस्तर के लिए जमीन सतह से 10 मी. से अधिक की ऊँचाई के ऊपर प्रत्येक 3 मी. या उससे ऊपर की अतिरिक्त ऊँचाई | 10,041.52 वर्ग मीटर | 39.11 प्रति वर्ग मीटर | 3.93 | लिफ्ट शाफ्ट के प्लस्तर के लिए मद की आवश्यकता थी परंतु मद समझौते के अन्तर्गत नहीं लिया गया। | लिफ्ट शाफ्ट में प्लस्तर आवश्यक था किंतु सीपीडब्लूडी द्वारा चूक गया। |
| | **कुल** | | | **(₹134.00 लाख अथवा ₹1.34 करोड़** | | |

**अनुलग्नक-V**

**(पैरा 4.4 में संदर्भित)**

**अप्रैल 2007 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान परिहार्य व्यय**

| क्रम स. | विवरण | मिंटो रोड मुद्रणालय | मायापुरी मुद्रणालय |
|---|---|---|---|
| 1. | ली गई अनुबंधित मांग | 1000 केवीए | 802 केवीए |
| 2. | आवश्यक अधिकतम अनुबंधित मांग | 350 केवीए | 400 केवीए |
| 3. | शेष अप्रयुक्त अनुबंधित मांग | 650 केवीए | 402 केवीए |
| 4. | दर प्रति केवीएः<br>(i) अप्रैल 2007 से अगस्त 2011 (53 महीने)<br>(ii) सितंबर 2011 से अगस्त 2017 (72 महीने)<br>(iii) सितंबर 2017 से मार्च 2018 (7 महीने) | <br>₹150/केवीए<br>₹125/केवीए<br>₹130/केवीए | <br>₹150/केवीए<br>₹125/केवीए<br>₹130/केवीए |
| 5. | परिहार्य नकद हानिः<br>(i) ₹150 x 53 महीने x 650 केवीए =₹51,67,500<br>(ii) ₹125 x 72 महीने x 650 केवीए=₹58,50,000<br>(iii) ₹130 x 07 महीने x 650 केवीए=₹5,91,500<br><br>(i) ₹150 x 53 महीने x 402 केवीए =₹31,95,900<br>(ii) ₹125 x 72 महीने x 402 केवीए=₹36,18,000<br>(iii) ₹130 x 07 महीने x 402 केवीए=₹3,65,820 | ₹1,166,09,000 | ₹71,79,720 |
| | **कुल** | **₹1,87,88,720** | |

कुल परिहार्य नकद हानि ₹1,87,88,720 अथवा ₹1.88 करोड़

## अनुलग्नक-VI

**(पैरा 4.5.1 में संदर्भित)**

**2014-15 की समाप्ति पर बकाया मुद्रण प्रभारों तथा उनके सापेक्ष में 2015-16 तथा 2016-17 में वसूली का वर्ष-वार विवरण दर्शाने वाली विवरणी**

**(धनराशि ₹ में)**

| क्रम संख्या | वर्ष | वर्ष 2014-15 के अंत में बकाया शेष | 2016-17 के अंत में बकाया शेष | 2014-15 के अंत में बकाया देय, जो 2015-16 एवं 2016-17 में प्राप्त हुए | 2017-18 के अंत में बकाया शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1976-77 से 1989-90 | 2,05,41,981 | 2,05,41,981 | 0 | 2,05,41,981 |
| 2. | 1990-91 | 2,53,789 | 2,53,789 | 0 | 2,53,789 |
| 3. | 1991-92 | 17,02,646 | 17,02,646 | 0 | 17,02,646 |
| 4. | 1992-93 | 31,28,706 | 31,28,706 | 0 | 31,28,706 |
| 5. | 1993-94 | 28,48,869 | 28,48,869 | 0 | 28,48,869 |
| 6. | 1994-95 | 11,06,703 | 11,06,703 | 0 | 11,06,703 |
| 7. | 1995-96 | 7,50,990 | 7,50,990 | 0 | 7,50,990 |
| 8. | 1996-97 | 35,58,056 | 35,58,056 | 0 | 35,58,056 |
| 9. | 1997-98 | 61,01,292 | 61,01,292 | 0 | 60,97,578 |
| 10. | 1998-99 | 35,78,687 | 35,78,687 | 0 | 35,78,687 |
| 11. | 1999-2000 | 39,58,765 | 39,58,765 | 0 | 39,58,765 |
| 12. | 2000-01 | 59,29,416 | 59,29,416 | 0 | 59,29,416 |
| 13. | 2001-02 | 1,75,49573 | 1,75,47,024 | 2,549 | 1,75,47,024 |
| 14. | 2002-03 | 61,10,899 | 61,10,899 | 0 | 61,10,899 |
| 15. | 2003-04 | 42,66,431 | 42,66,431 | 0 | 42,66,431 |
| 16. | 2004-05 | 34,28,078 | 34,20,459 | 7,619 | 32,75,184 |
| 17. | 2005-06 | 62,13,323 | 51,22,280 | 10,91,043 | 51,22,280 |
| 18. | 2006-07 | 67,47,091 | 60,22,476 | 7,24,615 | 60,22,476 |
| 19. | 2007-08 | 1,10,81,761 | 1,06,98,249 | 3,83,512 | 1,06,98,249 |
| 20. | 2008-09 | 1,01,53,758 | 94,61,610 | 6,92,148 | 94,61,610 |
| 21. | 2009-10 | 60,12,478 | 59,25,065 | 87,413 | 58,72,418 |
| 22. | 2010-11 | 30,91,945 | 29,50,703 | 1,41,242 | 29,50,703 |
| 23. | 2011-12 | 1,05,33,280 | 1,00,90,849 | 4,42,431 | 1,00,38,516 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. | 2012-13 | 1,67,78,741 | 1,66,43,740 | 1,35,001 | 1,66,43,740 |
| 25. | 2013-14 | 30,25,22,050 | 6,92,86,112 | 23,32,35,938 | 5,26,33,972 |
| 26. | 2014-15 | 44,06,02,993 | 28,70,17,969 | 15,35,85,024 | 14,93,59,963 |
| 27. | 2015-16 | लागू नहीं | 28,49,04,111 | लागू नहीं | 28,29,45,798 |
| 28. | 2016-17 | लागू नहीं | 17,25,33,917 | लागू नहीं | 10,32,56,708 |
| 29. | 2017-18 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 20,77,54,368 |
| | **कुल** | **89,85,52,301** | **96,54,61,794** | | **94,74,16,525** |

**अनुलग्नक-VII**

**(पैरा 4.5.4 में संदर्भित)**

**2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के अंत में मुद्रण प्रभारों की बकाया वसूलियों का संगठन-वार विवरण**

**(राशि ₹ में)**

| क्रम संख्या | केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग या संगठन का नाम जिनसे मुद्रण प्रभार की वसूली की जानी थी | 31.03.15 को बकाया शेष | 31.03.16 को बकाया शेष | 31.03.17 को बकाया शेष | 31.03.18 को बकाया शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कृषि | 1,49,73,144 | 1,41,76,098 | 1,49,13,262 | 1,59,28,472 |
| 2. | परमाणु ऊर्जा | 0 | 0 | 1,04,017 | 1,16,757 |
| 3. | आयुष | 0 | 0 | 2,76,093 | 3,36,479 |
| 4. | बीएसएनएल | 9,41,030 | 9,41,030 | 9,84,115 | 9,84,115 |
| 5. | भारतीय मानक ब्यूरो | 63,653 | 63,653 | 1,40,176 | 3,20,283 |
| 6. | कैबिनेट सचिवालय | 1,55,973 | 3,09,660 | 1,90,510 | 2,24,388 |
| 7. | रसायन एवं उर्वरक | 1,27,149 | 3,26,585 | 7,15,801 | 11,94,951 |
| 8. | नागर विमानन | 3,59,521 | 4,56,888 | 7,20,239 | 11,07,972 |
| 9. | नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले एवं लोक वितरण | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 |
| 10. | कोयला एवं खान | 1,60,860 | 2,19,637 | 3,29,156 | 11,67,712 |
| 11. | वाणिज्य एवं उद्योग | 56,94,913 | 39,42,732 | 65,92,100 | 1,51,73,061 |
| 12. | संचार एवं | 56,83,488 | 47,99,327 | 55,73,767 | 58,82,281 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | सूचना प्रौद्योगिकी | | | | |
| 13. | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण | 2,06,857 | 3,16,539 | 5,28,097 | 15,49,958 |
| 14. | कॉरपोरेट मामले | 69,916 | 1,35,623 | 6,68,126 | 30,72,706 |
| 15. | संस्कृति | 2,04,868 | 1,05,434 | 5,31,737 | 8,08,541 |
| 16. | रक्षा | 9,65,18,835 | 11,30,40,549 | 10,99,18,995 | 12,29,87,466 |
| 17. | उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास | 0 | 0 | 1,30,034 | 1,30,034 |
| 18. | पेय जल एवं स्वच्छता | 1,19,151 | 51,375 | 2,41,353 | 2,25,486 |
| 19. | पृथ्वी विज्ञान | 0 | 0 | 1,06,821 | 1,14,405 |
| 20. | भारत का चुनाव आयोग | 0 | 0 | 2,23,901 | 9,78,659 |
| 21. | इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी | 0 | 0 | 1,38,904 | 1,38,904 |
| 22. | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन | 32,62,638 | 36,80,918 | 1,15,10,214 | 1,79,47,550 |
| 23. | विदेश मंत्रालय | 4,03,201 | 4,84,182 | 6,90,093 | 13,17,816 |
| 24. | परिवार न्यायालय | 0 | 0 | 2,12,013 | 2,12,013 |
| 25. | वित्त | 1,15,74,211 | 1,18,01,048 | 2,40,49,758 | 3,23,33,270 |
| 26. | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति | 50,282 | 50,282 | 50,282 | 50,282 |
| 27. | खाद्य एवं उपभोक्ता मामले | 3,099 | 3,099 | 3,099 | 3,099 |
| 28. | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | 7,16,070 | 5,53,550 | 3,20,230 | 2,28,712 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 97,02,560 | 1,01,66,604 | 1,77,64,191 | 1,92,64,668 |
| 30. | भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम | 6,20,493 | 7,10,357 | 9,49,422 | 8,66,381 |
| 31. | गृह मंत्रालय | 2,22,66,147 | 2,08,58,350 | 2,76,92,755 | 6,88,37,457 |
| 32. | आवासन एवं शहरी गरीबी उन्मूलन | 0 | 0 | 96,349 | 10,96,415 |
| 33. | मानव संसाधन विकास | 3,30,98,623 | 3,40,68,467 | 3,57,80,279 | 4,23,27,406 |
| 34. | उद्योग | 25,129 | 25,129 | 25,129 | 25,129 |
| 35. | सूचना एवं प्रसारण | 3,60,631 | 2,93,630 | 4,95,931 | 3,31,589 |
| 36. | श्रम | 13,767 | 13,767 | 13,767 | 13,767 |
| 37. | श्रम एवं रोजगार | 10,64,340 | 3,91,180 | 11,60,188 | 38,19,631 |
| 38. | न्याय एवं विधि | 24,64,568 | 26,97,006 | 24,89,190 | 30,50,178 |
| 39. | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग | 57,191 | 1,59,015 | 1,90,448 | 8,75,757 |
| 40. | खान | 1,00,72,833 | 13,35,514 | 7,13,538 | 6,76,029 |
| 41. | अल्पसंख्यक मंत्रालय | 0 | 0 | 2,56,871 | 2,88,725 |
| 42. | एनसीटीडी (दिल्ली गजट) | 48,49,926 | 12,54,733 | 66,66,003 | 56,15,753 |
| 43. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 1,78,29,259 | 1,52,45,679 | 4,65,76,176 | 4,44,92,266 |
| 44. | नवीन और नवीकरणीय उर्जा | 0 | 96,875 | 1,16,528 | 1,20,054 |
| 45. | गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत | 5,05,937 | 5,05,937 | 5,05,937 | 5,05,937 |
| 46. | प्रवासी भारतीय मामले | 37,640 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47. | संसदीय मामले | 6,838 | 6,838 | 66,986 | 1,47,651 |
| 48. | कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन | 53,49,542 | 53,99,685 | 48,19,733 | 59,28,094 |
| 49. | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस | 4,67,322 | 5,44,418 | 52,90,414 | 87,81,359 |
| 50. | योजना (नीति) आयोग | 1,31,078 | 1,31,078 | 97,112 | 97,112 |
| 51. | विद्युत | 55,055 | 93,004 | 3,44,824 | 6,34,433 |
| 52. | राष्ट्रपति का सचिवालय | 0 | 0 | 10,578 | 73,655 |
| 53. | पंचायती राज | 0 | 0 | 44,711 | 44,711 |
| 54. | रेलवे | 35,81,191 | 30,76,957 | 1,39,12,197 | 1,01,14,163 |
| 55. | ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार | 19,857 | 19,857 | 19,857 | 19,857 |
| 56. | ग्रामीण विकास | 25,72,111 | 25,04,016 | 27,83,615 | 28,85,702 |
| 57. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 3,53,036 | 3,53,036 | 5,64,374 | 3,67,938 |
| 58. | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग | 16,20,202 | 15,46,164 | 3,04,43,406 | 5,53,50,287 |
| 59. | पोत परिवहन | 0 | 0 | 5,53,258 | 8,33,109 |
| 60. | कौशल विकास एवं उद्यमिता | 0 | 84,650 | 3,25,366 | 3,52,875 |
| 61. | लघु उद्योग | 27,203 | 27,203 | 27,203 | 27,203 |
| 62. | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता | 3,35,654 | 59,517 | 7,30,659 | 10,94,250 |
| 63. | अंतरिक्ष | 0 | 0 | 1,27,775 | 1,39,151 |
| 64. | सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन | 16,83,750 | 14,66,555 | 12,12,790 | 11,36,600 |
| 65. | इस्पात एवं खान | 87,396 | 29,935 | 78,970 | 1,38,080 |
| 66. | आपूर्ति एवं पुनर्वास | 28,143 | 28,143 | 28,143 | 28,143 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67. | सर्वोच्च न्यायालय | 0 | 0 | 7,052 | 19,393 |
| 68. | भूतल परिवहन | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 2,940 |
| 69. | वस्त्र | 1,75,414 | 2,12,677 | 67,8,354 | 9,01,669 |
| 70. | तीस हजारी न्यायालय | 4,20,275 | 3,83,511 | 42,84,942 | 25,26,533 |
| 71. | पर्यटन एवं संस्कृति | 2,63,075 | 2,63,075 | 4,45,015 | 3,65,503 |
| 72. | आदिवासी मामले | 2,73,723 | 4,48,870 | 4,26,774 | 4,26,774 |
| 73. | शहरी विकास (प्रकाशन नियंत्रक) | 62,65,78,838 | 67,25,31,722 | 56,44,59,943 | 42,49,12,399 |
| 74. | संघ लोक सेवा आयोग | 35,15,311 | 12,18,368 | 30,59,142 | 30,59,142 |
| 75. | शहरी विकास | 60,50,286 | 66,88,856 | 75,47,442 | 79,54,677 |
| 76. | जल संसाधन | 1,72,408 | 1,89,945 | 5,94,309 | 8,16,670 |
| 77. | कल्याण | 2,45,563 | 2,45,563 | 2,45,563 | 2,45,563 |
| 78. | महिला एवं बाल विकास | 2,64,011 | 59,805 | 6,07,457 | 7,26,874 |
| 79. | युवा मामले एवं खेल | 11,826 | 1,99,477 | 2,62,945 | 5,19,151 |
| | **कुल योग** | **89,85,52,301** | **94,10,98,667** | **96,54,61,794** | **94,74,16,525** |

**अनुलग्नक-VIII**

**(पैरा 4.5.4 में संदर्भित)**

**जीएनसीटीडी से बकाया मुद्रण प्रभारों का वर्ष-वार विवरण**

**(राशि ₹ में)**

| क्रम संख्या | वर्ष | एनसीटीडी (दिल्ली गजट) | एनसीटीडी |
|---|---|---|---|
| 1. | 1976-77 से 1989-90 | 0 | 31,20,469 |
| 2. | 1990-91 से 1999-2000 | 4,26,036 | 13,48,110 |
| 3. | 2000-01 से 2009-10 | 3,89,725 | 55,86,130 |
| 4. | 2010-11 | 10,473 | 0 |
| 5. | 2011-12 | 0 | 3,09,256 |
| 6. | 2012-13 | 11,024 | 0 |
| 7. | 2013-14 | 0 | 9,57,877 |
| 8. | 2014-15 | 0 | 5,11,299 |
| 9. | 2015-16 | 0 | 2,85,221 |
| 10. | 2016-17 | 13,24,280 | 78,04,035 |
| 11. | 2017-18 | 34,54,215 | 2,45,69,869 |
| | **31 मार्च 2018 को कुल देय** | **56,15,753** | **4,44,92,266** |

**अनुलग्नक-IX**

**(पैरा 4.9 में संदर्भित)**

**लेखापरीक्षा और डीडीए द्वारा दुरुपयोग प्रभार की गणना**

| ब्योरा | नीति के अनुसार फार्मुला | अभियुक्तियाँ |
|---|---|---|
| डीडीए के रिकार्ड में उपलब्ध ₹6.24 लाख की गणना | आधारभूत दर X दुरुपयोग तहत कुल क्षेत्र वर्ग मीटर में X समय कारक X ऐतिहासिक कारक<br>₹11,200 X 181.86 वर्ग मीटर 1.5 X0.5 = ₹15,27,624<br>1 जनवरी 1983 से 31 दिसम्बर 1989 (72 माह)<br>दुरुपयोग प्रभार = ₹15,27624/210X72 =₹5,23,757 ----- (i)<br>1 जनवरी 1990 से 5 जुलाई 2000 (138 माह)<br>दुरुपयोग प्रभार =₹15,27,624/210 X138 = ₹10,03,867 ------- (ii)<br>(ii) का 10% = ₹1,00,387 ----- (iii)<br>कुल दुरुपयोग प्रभार = (i) + (iii) = **₹6,24,144** | कुल दुरुपयोग क्षेत्र 727.42 वर्ग मीटर का 25% लिया गया यह मानते हुए कि दुरूपयोग क्षेत्र नियम-III के अन्तर्गत विवादित था।<br>1 जनवरी 1990 से 5 जुलाई 2000 की अवधि के लिए दुरुपयोग प्रभार कुल राशि का 10% गणना किया गया दुरुपयोग नीति के क्लॉज 5 के आधार पर जोकि बताता है कि जहाँ सम्पति बिना मालिक के जानकारी या सुविधा के बिना किरायेदार द्वारा दुरुपयोग किया गया तथा मालिक ने निष्कासन के लिए मुकदमा दायर किया हो जिसमें कि सम्पत्ति का दुरूपयोग होना निष्कासन का एक आधार हो वहाँ दुरूपयोग प्रभार 10% लगाया जाना चाहिए। |
| लेखापरीक्षा द्वारा गणना | आधारभूत दर X दुरुपयोग तहत कुल क्षेत्र वर्ग मीटर में X समय करक X ऐतिहासिक कारक<br>₹11,200 X 872.80 वर्ग मीटर X 1.5 X0.50 अर्थात **₹73,31,520**<br>**घटावः** भुगतान की गई राशि (₹10,00,000 + ₹99,728) = **₹10,99,728**<br>दुरुपयोग प्रभार = **₹62,31,729** | डीडीए द्वारा अनुमोदित कुल दुरुपयोग 872.20 वर्ग मीटर क्षेत्र था। |

1. आधारभूत दर नीति के तहत दिया गया था और दक्षिणी दिल्ली के क्षेत्रों के लिए आधारभूत दर ₹11,200 था।

2. नीति में समय कारक शून्य से पांच वर्ष के लिए एक, पांच से 10 वर्ष के लिए 1.25 और 10 वर्ष से ज्यादा के लिए 1.5 था।

3. नीति में दिए गए ऐतिहासिक कारक निम्नलिखित थाः

| **दुरुपयोग की अवधि (वर्ष में)** | **ऐतिहासिक कारक** |
|---|---|
| 1.4.1985 से पहले | 0.25 |
| 1.4.1985 से 31.3.1995 तक | 0.50 |
| 1.4.1995 से 31.3.2005 तक | 0.75 |
| 1.4.2005 से अभी तक | 1 |

नीति में यह भी वर्णित था कि उपरोक्त वर्णित अवधियों में यदि दुरूपयोग का समय एक से अधिक अवधियों के अंतर्गत आता है तो मामले में समयावधि का कारक जिसमें दुरुपयोग की अवधि ज्यादा बड़ी होगी वही लिया जाएगा।

## अनुलग्नक -X

## (पैरा 4.11 में संदर्भित)

**तीन खेल परिसरों में प्रति केवीए लागूदर, ली गई संविदागत माँग, इष्टतम आवश्यक संविदागत माँग, अप्रयुक्त शेष संविदागत माँग के विवरण**

**(केवीए में संविदागत माँग)**

| क्रम सं. | विवरण | रोहिणी खेल परिसर | मेजर ध्यान चंद खेल परिसर | पूर्वी दिल्ली खेल परिसर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ली गई संविदागत माँग | 295 | 191 | 276 |
| 2. | इष्टतम आवश्यक संविदागत माँग | 155 | 130 | 102 |
| 3. | अप्रयुक्त शेष संविदागत माँग | 140 | 61 | 174 |

**परिहार्य व्यय का अभिकलन**

| क्रम सं. | अवधि | अवधि के लिए लागू प्रति केवीए दर (₹ में) | इस अवधि के महीने | अधिक केवीए | धनराशि (₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| **रोहिणी स्पोर्टस क़ॉम्पलेक्स (आरएससी)** | | | | | |
| 1. | जून 2004 से सितंबर 2011 | 150 | 88 | 140 | 18,48,000 |
| 2. | अक्तूबर 2011 से अगस्त 2017 | 125 | 71 | 140 | 12,42,500 |
| 3. | सितंबर 2017 से मार्च 2018 | 130 | 07 | 140 | 1,27,400 |
| **कुल** | | | | | **32,17,900** |
| **मेजर ध्यान चंद खेल परिसर (एमडीसीएससी)** | | | | | |
| 4. | अप्रैल 2010 से सितंबर 2011 | 150 | 18 | 61 | 1,64,700 |
| 5. | अक्तूबर 2011 से अगस्त 2017 | 125 | 71 | 61 | 5,41,375 |
| 6. | सितंबर 2017 से मार्च 2018 | 130 | 07 | 61 | 55,510 |
| **कुल** | | | | | **7,61,585** |
| **पूर्व दिल्ली खेल परिसर (पीडीकेपी)** | | | | | |
| 7. | जनवरी 2011 से सितंबर 2011 | 150 | 09 | 174 | 23,49,00 |
| 8. | अक्तूबर 2011 से अगस्त 2017 | 125 | 71 | 174 | 15,44,250 |
| 9. | सितंबर 2017 से मार्च 2018 | 130 | 07 | 174 | 1,58,340 |
| **कुल** | | | | | **19,37,490** |
| **कुल योग** | | | | | **59,16,975** |

## अनुलग्नक-XI

## (पैरा 7.2 में संदर्भित)

**ग्रोस बर्थ आऊटपुट के संदर्भ में कम निष्पादन के लिए रियायतग्राहियों से वसूल किया जाने वाला परिनिर्धारित नुकसान**

| अवधि | परिनिर्धारित नुकसान (₹) |
|---|---|
| **जीसीबी बर्थ** | |
| अप्रैल 2013 से जून 2013 | 1,18,54,221 |
| जुलाई 2013 से सितंबर 2013 | 95,96,540 |
| अक्टूबर 2013 से दिसंबर 2013 | 46,33,997 |
| जनवरी 2014 से मार्च 2014 | 0 |
| अप्रैल 2014 से जून 2014 | 1,20,41,891 |
| जुलाई 2014 से सितंबर 2014 | 1,86,40,592 |
| अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014 | 1,35,17,866 |
| जनवरी 2015 से मार्च 2015 | 1,17,82,822 |
| अप्रैल 2015 से जून 2015 | 2,12,86,968 |
| जुलाई 2015 से सितंबर 2015 | 1,15,33,352 |
| अक्टूबर 2015 से दिसंबर 2015 | 82,34,467 |
| जनवरी 2016 से मार्च 2016 | 62,56,357 |
| अप्रैल 2016 से जून 2016 | 49,32,617 |
| जुलाई 2016 से सितंबर 2016 | 1,18,13,360 |
| अक्टूबर 2016 से दिसंबर 2016 | 22,27,030 |
| जनवरी 2017 से मार्च 2017 | 14,40,287 |
| अप्रैल 2017 से जून 2017 | 55,13,905 |
| जुलाई 2017 से सितंबर 2017 | 55,53,804 |
| अक्टूबर 2017 से दिसंबर 2017 | 1,81,72,647 |
| जनवरी 2018 से मार्च 2018 | 2,06,17,362 |
| **कुल जीसीबी बर्थ के लिए (ए)** | **19,96,50,085** |
| **डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ** | |
| जनवरी 2016 से मार्च 2016 | 19,52,392 |
| अप्रैल 2016 से जुन 2016 | 14,00,833 |
| जुलाई 2016 से सितंबर 2016 | 15,12,593 |
| अक्टूबर 2016 से दिसंबर 2016 | 12,03,846 |
| जनवरी 2017 से मार्च 2017 | 1,34,198 |

| | |
|---|---|
| अप्रैल 2017 से जून 2017 | 9,91,689 |
| जुलाई 2017 से सितंबर 2017 | 31,90,658 |
| अक्टूबर 2017 से दिसंबर 2017 | 42,66,733 |
| जनवरी 2018 से मार्च 2018 | 17,86,740 |
| **कुल डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ के लिए (बी)** | **1,64,39,682** |
| **ईक्यू-10 बर्थ** | |
| जनवरी 2017 से मार्च 2017 | 97,975 |
| अप्रैल 2017 से जून 2017 | 1,30,341 |
| जुलाई 2017 से सितंबर 2017 | 2,58,514 |
| अक्टूबर 2017 से दिसंबर 2017 | 94,603 |
| जनवरी 2018 से मार्च 2018 | 37,454 |
| **कुल ईक्यू-10 बर्थ के लिए (सी)** | **6,18,887** |
| **कुल योग (ए+बी+सी)** | **21,67,08,654** |

*नोटः निर्धारित नुकसान की गणना एमसीए के परिशिष्ट 15 के प्रावधानों के अनुसार की गई है, जिसके अनुसार रियायतग्राही द्वारा औसत निष्पादन में प्रत्येक 10 प्रतिशत की कमी हेतु संबंधित तिमाही के सकल राजस्व का एक प्रतिशत निर्धारित नुकसान देय होगा।*

**अनुलग्नक-XII**

**(पैरा 7.3 में संदर्भित)**

**विशाखापत्तनम पत्तन न्यास द्वारा रियायती करारों में दण्डात्मक धारा सम्मिलित न करने के कारण हुए राजस्व के नुकसान को दर्शाती विवरणी**

| वाणिज्यिक परिचालनों के प्रारम्भ की तिथि | अवधि | न्यूनतम गारंटित कार्गो (एमजीसी) (टन में) | संभाला गया कार्गो (टन में) | एमजीसी प्राप्त करने में कमी (टन में) | अर्जित रॉयल्टी (₹) | दर प्रति टन (₹) | राजस्व की हानि (₹ करोड में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (6)/(4) | (8) = (5)x(7) |
| **डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ** | | | | | | | |
| जुलाई 2015 | अगस्त 2015 से जुलाई 2016 | 5,20,000 | 2,22,929 | 2,97,071 | 2,73,46,303 | 122.67 | 3.64 |
| | अगस्त 2016 से जुलाई 2017 | 5,20,000 | 5,11,014 | 8,986 | 4,87,82,343 | 95.46 | 0.08 |
| | | | | | | **कुल (ए)** | **3.72** |
| **ईक्यू-10 बर्थ** | | | | | | | |
| जुलाई 2017 | जुलाई 2017 से जून 2018 | 4,60,000 | 2,29,690 | 2,30,310 | 46,27,875 | 20.15 | 0.46 |
| | | | | | | **कुल (बी)** | **0.46** |